




केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.)
18, संस्थागत क्षेत्र, शहीद जीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली - 110016
KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN (HQ)
18, Institutional Area, S.J.S. Marg, New Delhi-110016
दूरभाष/Tel:011-26521898 फैक्स/Fax : 26514179
E-mail: kvs.estt.1@gmail.com

फ. सं.: 11044/2(1)/2015-केविसं(स्था-I)/13182-13195

दिनांक : 12.06.2019

कार्यालय आदेश

भारत सरकार के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के नोट संख्या 27/20/2019-EO(SM-I) दिनांक 04.05.2019 के परिणाम स्वरूप मानव संसाधन विकास मंत्रालय के आदेश संख्या F.No.3-22/2008-UT-2 दिनांक 28.05.2019 द्वारा श्री संतोष कुमार मल्ल, भा.प्र.से.(बी.एच.:1997) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मु.) का केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति कार्यकाल दिनांक 30.04.2020 तक या अगले आदेश तक, जो भी पहले हो, बढ़ा दिया गया है।



(सौरभ जैन)

अपर आयुक्त (प्रशा.)

वितरण :

1. श्री संतोष कुमार मल्ल, भा.प्र.से.(बी.एच.:1997) आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
2. निजी सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्री एवं अध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
3. मुख्य सचिव, बिहार सरकार, पटना।
4. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, उच्च शिक्षा विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
5. वरिष्ठ प्रमुख निजी सचिव, सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, उपाध्यक्ष, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
7. निजी सचिव, संयुक्त सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
8. उप-सचिव, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग, शास्त्री भवन, नई दिल्ली।
9. अध्यक्ष, केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, 2, समुदाय केंद्र, प्रीत विहार, नई दिल्ली।
10. अध्यक्ष, राष्ट्रिय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान, ए-24/25, संस्थागत क्षेत्र, सैक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश-201309.
11. निदेशक, राष्ट्रिय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद, श्री अरविंदो मार्ग, नई दिल्ली- 110016.
12. आयुक्त, नवोदय विद्यालय समिति, बी-15, संस्थागत क्षेत्र, सैक्टर-62, नोएडा, उत्तर प्रदेश - 201307.
13. निजी सचिव, आयुक्त, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
14. संयुक्त आयुक्त (कार्मिक/ प्रशा./प्रशि./वित्त)/शैक्षिक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
15. उपायुक्त/निदेशक, केन्द्रीय विद्यालय संगठन, सभी क्षेत्रीय कार्यालय/जीटा।
16. कार्यकारी सहायक एवं सहायक आयुक्त (सतर्कता), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली।
17. उपायुक्त (ई.डी.पी.), केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.), नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस कार्यालय आदेश को केन्द्रीय विद्यालय संगठन (मुख्या.) की वेबसाइट पर प्रकाशित करें।
18. कार्यालय आदेश संचिका।